संख्या : 44–एक(1)/xxxvi(1)/2006–6–एक(2)/06

प्रेषक,

यू0सी0 ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 15 अप्रैल, 2006

विषय : प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेठ्ठी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 21 मार्च, 2002, दिनांक 06.12.2005 एवं दिनांक 07–2–2006 को पारित आदेश के संदर्भ में उत्तरांचल राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधायें प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेठ्ठी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति तथा उस क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 21 मार्च, 2002, दिनांक 06.12.2005 एवं दिनांक 07–2–2006 को पारित आदेश के संदर्भ में निम्नानुसार भत्ते/सुविधायें अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की गयी है :–

1. <u>वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता</u>

(1) प्रत्येक जिला जज, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश, वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला जज तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त पूल्ड कार की सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के मध्य 1 पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर में 150 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 125 लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।

(3) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है, उन्हें निम्नानुसार पेट्रोल/डीजल देय होगा, जिसके प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी :–

| शहर/स्थान की श्रेणी | अनुमन्य पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में) |
|---|---|
| देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर । | 75 |
| शेष जिले | 50 |

नोटः– जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है तथा वे उपरोक्तानुसार पेट्रोल/डीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पूल कार की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। पूल कारों की आवश्यकता का आगणन तद्नुसार ही किया जायेगा।

(4) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह 25 लीटर पेट्रोल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी।

2. अतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा :

| क्र0 सं0 | न्यायिक अधिकारियों की श्रेणी | मासिक भत्ता (रूपये में) |
|---|---|---|
| 1. | जिला जज/अपर जिला जज | 1000 |
| 2. | सिविल जज (सीनियर डिवीजन) | 750 |
| 3. | सिविल जज (जूनियर डिवीजन) | 500 |

3. पोशाक भत्ता

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 5 वर्ष की अवधि में एक बार रू0 5000 की एक मुश्त राशि पोशाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पांच वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

4. समाचार पत्र/पत्रिका

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य 50 रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी।

5. दूरभाष सुविधा

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस.टी.डी. युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के अनुसार निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमन्य होगी :–

| क्र0 सं0 | अधिकारी की श्रेणी | 2 माह के लिये निःशुल्क काल की सीमा | |
|---|---|---|---|
| | | कार्यालय | आवास |
| 1. | जिला जज/सत्र न्यायाधीश | 3000 | 2000 |
| 2. | अतिरिक्त जिला जज/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश | 2000 | 1000 |
| 3. | सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट | 2000 | 1000 |
| 4. | सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मजिस्ट्रेट | 1500 | 750 |

6. आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति

न्यायिक अधिकारियों को बिजली एवं पानी के बिलों की धनराशि का आधा भुगतान न्याय विभाग के शासनादेश संख्या 202–एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में देय होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों के आवासों के बिजली तथा पानी के बीजक की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा अर्थात न्यायिक अधिकारी को जैसे ही बिजली व पानी का बीजक प्राप्त हो, वह उसका भुगतान करेगा और भुगतान के उपरान्त बीजक और भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर उसकी आधी धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा कर दी जायेगी।

7. आवास/मकान किराया भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निःशुल्क आवास शासनादेश संख्या 202–एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में उपलब्ध होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों को शासकीय आवास आवंटित होने की स्थिति में उन्हें शासकीय आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात उनसे शासकीय आवास के साथ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क आवास प्रदान किए जाने पर मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

8. अतिरिक्त प्रभार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिये दिया जाता है तथा न्यायिक अधिकारी इस अवधि में अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का निष्पादन करते हैं तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

9. अवकाश नकदीकरण

न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नकदीकरण लेने की सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसी सुविधा लेते समय अवकाश लेने के लिये अधिकारी को बाध्य नहीं किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ प्रथम 2 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

10. अवकाश यात्रा सुविधा

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेंगी। अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग करने के लिये 5 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में अपने गृह जनपद के लिये अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिये प्रथम 4 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

11. एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान

न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरित होने पर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहाई के बराबर धनराशि एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता

न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवारजन को सरकारी अस्पतालों/औषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों/औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तद्विषयक संगत नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रू0 100 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य होगा।

2– उपर्युक्त आदेश दिनांक 21 मार्च, 2002 से प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की किसी अवधि के लिये इन भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिये यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति

सुनिश्चित की जायेगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान का समायोजन किया जायेगा।

3— उपरोक्त भत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में जारी किये गये शासनादेश संख्या 202—एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 यथावत रहेगा अन्य आदेश तद्नुसार अतिक्रमित समझे जायेंगे।

4— उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 164 दिनांक 25 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(यू0सी0 ध्यानी)
सचिव,

पृष्ठांकन संख्या—44—एक(1)/xxxvi(1)/2006—6—एक(2)/06, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
2— विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री।
3— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
4— निदेशक, कोषागार निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
5— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
6— समस्त जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7— समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
8— वित्त अनुभाग—5/कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
9— एन.आई.सी/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव